



# उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010  
दूरभाष : 0522-2720360, 2723947 फैक्स : 0522-2721135  
Website : www.upsacs.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा० / ICTC/Stand Alone/ F-106/2019-20/4326

दिनांक 27/08/2020

सेवा में,

निदेशक/प्रधानाचार्य,

एम्स, गोरखपुर एवं रायबरेली/मेडिकल कालेज, आजमगढ़, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बांदा, बस्ती, जालौन, गौतमबुद्ध नगर, ।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,

जिला संयुक्त चिकित्सालय, आजमगढ़, बलरामपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय, कानपुर नगर, संयुक्त चिकित्सालय वृन्दावन, मथुरा, जिला चिकित्सालय गोरवाबाजार, गाजीपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद-आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, बांदा, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, चदौली, फरुखबाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, कुशीनगर, जालौन, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, शामली, सीतापुर एवं उन्नाव ।

विषय: 91 नये स्टैण्ड एलोन-आई.सी.टी.सी. की स्थापना के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि सोसाइटी द्वारा आपके जनपद (उच्च जोखिम जनपद सम्मिलित) में स्थापित एम्स/मेडिकल कालेज/जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टैण्ड एलोन-आई.सी.टी.सी. की स्थापना हेतु प्रारूप पर सूचना मांगी गई थी। आपके द्वारा प्रदान सहमति के आधार पर नये स्टैण्ड एलोन-आई.सी.टी.सी. की स्थापना का अनुमोदन अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन से प्राप्त हो गया है (केन्द्रवार सूची संलग्नक 'क')।

अतः उक्त के क्रम में आपके स्तर से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला एड्स समन्वय समिति (DACC)" (दिशा निर्देश संलग्नक 'ख') के माध्यम से उपरोक्त नवसृजित 91 स्टैण्ड एलोन आईसीटीसी केन्द्रों हेतु संविदा के आधार पर 01 परामर्शदाता एवं 01 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रति केन्द्र पर 'नाको' द्वारा निर्धारित मानकों (शैक्षिक अर्हता एवं कार्यक्षेत्र (ToR) (संलग्नक 'ग')) के अनुसार किया जाना है।
- संविदा कर्मियों को 'नाको' द्वारा निर्धारित मानदेय रु० 13,000/- प्रतिमाह प्रति कर्मियों को नियमानुसार दिया जायेगा।
- संविदा पद हेतु विज्ञापन व्यापक प्रचार प्रसार वाले समाचार पत्रों में DAVP दरों पर करने का कष्ट करें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने के लिए सोसाइटी की वेबसाइट www.upsacs.in अथवा www.upsacs.nic.in का एवं विज्ञापित विज्ञापन में "उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ" का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त संविदा पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के लिए अधिकतम धनराशि रु० 5000/- से अधिक के व्यय की प्रतिपूर्ति सोसाइटी स्तर से की जानी सम्भव नहीं होगी।


- कार्यहित में उपरोक्त संविदा पदों हेतु चयन प्रक्रिया/ 'Walk in Interview' का अनुमोदन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित "जिला एड्स समन्वय समिति (DACCS)" से प्राप्त कर उपरोक्त पद हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नियमानुसार चयन प्रक्रिया/ 'Walk in Interview' कराया जा सकता है।

संविदा कर्मियों की नियुक्ति के उपरान्त निम्न सुविधाएं सोसाइटी स्तर से प्रदान की जायेंगी:-

- 01 परामर्शदाता एवं 01 लैब टेक्नीशियन को संविदा पर (प्रत्येक केन्द्र हेतु) नियुक्ति उपरान्त नियमानुसार ₹13,000/- प्रति माह प्रति संविदाकर्मी हेतु मानदेय मासिक उपस्थिति के आधार पर सोसाइटी स्तर से PFMS के माध्यम से संविदा कर्मियों के खाते में भेजा जायेगा।
- Refurbishment हेतु One time grant of ₹80,000/- मात्र प्रति आई.सी.टी.सी. केन्द्र। (Refurbishment हेतु विवरण संलग्न 'घ')
- उपकरण (जैसे-कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिन्टर, रेफीजरेटर, सेन्टीफ्यूज, नीडल कटर, कलर कोडेड बिन, टी.वी./डी.वी.डी. इत्यादि) के क्रय हेतु बजट One time grant of ₹60,000/- मात्र प्रत्येक आई.सी.टी.सी. केन्द्र। वर्तमान में प्रचलित क्रय नियमावली के अनुसार क्रय प्रक्रिया की जानी है।

आपसे अनुरोध है कि संविदा के आधार पर 01 परामर्शदाता एवं 01 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमानुसार करते हुए चयनित संविदा कर्मियों की सूची विवरण सहित (नियुक्ति पत्र, शपथ-पत्र की छायाप्रति, योगदान आख्या, चयनित कर्मियों का बैंक ऑफ बडौदा का बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड सहित, आधार कार्ड की छायाप्रति (Both side), पैन कार्ड की छायाप्रति, ईमेल एवं सम्पर्क सूत्र, इत्यादि) सोसाइटी को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे परामर्शदाता एवं लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएँ हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,  


(डा० प्रीति पाठक)  
प्रभारी आई.सी.टी.सी.  
कृते परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:

- 1- परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2- अपर परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 3- जिलाधिकारी, उपरोक्त समस्त सम्बन्धित जनपदों को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- जिला क्षय रोग अधिकारी/एड्स कार्यक्रम अधिकारी, उपरोक्त समस्त सम्बन्धित जनपदों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० प्रीति पाठक)  
प्रभारी आई.सी.टी.सी.  
कृते परियोजना निदेशक

91 New Stand Alone ICTC Centre in UP			Category
S.N.	District	Name of Facility	Category
1	Agra	CHC Achhnera	CHC
2	Agra	CHC Bichpuri	CHC
3	Agra	CHC Akola	CHC
4	Agra	CHC Jagner	CHC
5	Agra	CHC Fatehpur Sikri	CHC
6	Aligarh	CHC Gabhana	CHC
7	Aligarh	CHC Akrabad	CHC
8	Aligarh	CHC Chharra	CHC
9	Aligarh	CHC Iglas	CHC
10	Ambedkar Nagar	CHC Baskhari	CHC
11	Ambedkar Nagar	Mahamaya Alopactic Medical College, Sadarpur, Akbarpur	MC
12	Ayodhya	Rajshri Dashrath Chikitsa Mahavidhyalay	MC
13	Azamgarh	Atraulia 100 beded Combined District Hospital	DH
14	Azamgarh	Medical College	MC
15	Bahraich	CHC Risia	CHC
16	Bahraich	CHC Chirraiypand	CHC
17	Bahraich	CHC Rampurwa	CHC
18	Bahraich	CHC Motipur	CHC
19	Bahraich	CHC Nanpara	CHC
20	Bahraich	Rajkiya Medical College	MC
21	Balrampur	Combined District Hospital	DH
22	Banda	Rajkeeya Medical College	MC
23	Banda	PHC Tindwari	PHC
24	Banda	PHC Kamasin	PHC
25	Basti	CHC Bahadurpur	CHC
26	Basti	CHC Harraiya	CHC
27	Basti	CHC Kaptanganj	CHC
28	Basti	Maharshi Vashistha Medical College	MC
29	Bijnor	FRU Dhampur	CHC
30	Bulandshahar	CHC Jahangirabad	CHC
31	Bulandshahar	CHC Shikarpur	CHC
32	Bulandshahar	CHC Lakhaothi	CHC
33	Bulandshahar	CHC Pahasu	CHC
34	Bulandshahar	CHC Dibai	CHC
35	Bulandshahar	CHC Siyana	CHC
36	Chandauli	MCH-Wing Chandauli	CHC
37	Chitrakoot	CHC Manikpur	CHC
38	Chitrakoot	CHC Ramnagar	CHC
39	Farrukhabad	CHC Kamalganj	CHC
40	Farrukhabad	CHC Rajepur	CHC
41	Farrukhabad	CHC Kaimganj	CHC
42	Farrukhabad	CHC Mohammadabad	CHC
43	Firozabad	Combined District Hospital, Shikohabad	DH
44	Gautam Buddha Nagar	Govt. Institute of Medical Sciences	MC
45	Ghaziabad	Combined Hospital	DH
46	Ghazipur	District Hospital, Gorabazar	DH
47	Ghazipur	CHC Kasimabad	CHC

*[Handwritten Signature]*

48	Ghazipur	CHC Birno	CHC
49	Ghazipur	CHC Zamania	CHC
50	Ghazipur	CHC Reotipur	CHC
51	Gorakhpur	CHC Barhalganj	CHC
52	Gorakhpur	CHC Sahjanwa	CHC
53	Gorakhpur	CHC Campierganj	CHC
54	Gorakhpur	PHC Uruwa	PHC
55	Gorakhpur	PHC Sardarnagar	PHC
56	Gorakhpur	AIIMS (All India Insititute of Medical Science)	MC
57	Hapur	Combined District Hospital Hapur	DH
58	Jalaun	Rajkiya Medical college	MC
59	Jalaun	CHC Dakore	CHC
60	Kanpur Nagar	Kanshiram Combined Hospital	DH
61	Kushinagar	CHC Sukhrauli	CHC
62	Kushinagar	CHC Ramkola	CHC
63	Kushinagar	CHC Kasia	CHC
64	Kushinagar	CHC Ramkola	CHC
65	Mathura	Combined Hospital, Brindavan	DH
66	Mau	PHC Pardaha	PHC
67	Mau	CHC Fatehpur Madaun	CHC
68	Mirzapur	CHC Lalganj	CHC
69	Moradabad	CHC Bilari	CHC
70	Moradabad	CHC Kaanth	CHC
71	Moradabad	CHC Dilari	CHC
72	Moradabad	CHC Kundarki	CHC
73	Muzaffarnagar	CHC Budhana	CHC
74	Rampur	CHC Shahbad	CHC
75	Rampur	CHC Tanda	CHC
76	Rampur	CHC Vilaspur	CHC
77	Raebareli	AIIMS (All India Insititute of Medical Science)	MC
78	Saharanpur	CHC Fatehpur	CHC
79	Sambhal	CHC Chandausi	CHC
80	Sambhal	CHC Asmauli	CHC
81	Sant Kabeer Nagar	PHC Baghauri	PHC
82	Siddharthnagar	CHC Uska Bazar	CHC
83	Siddharthnagar	CHC Lotan	CHC
84	Siddharthnagar	CHC Birdpur	CHC
85	Siddharthnagar	CHC Shoratgarh	CHC
86	Siddharthnagar	CHC Bhagwanpur	CHC
87	Shamli	CHC Un	CHC
88	Sitapur	CHC Tambour	CHC
89	Unnao	CHC Bangarmau	CHC
90	Unnao	CHC Safhipur	CHC
91	Unnao	CHC Purwa	CHC

*R. Tyabkhan*



# उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

दूरभाष : 0522-2720360, फ़ैक्स : 0522-2721135  
http://upaidcontrol.up.nic.in

पत्रांक : एड्स सोसा० / अधि / NACP-III/जनपद रिक्त पद / 12-13 / 752

दिनांक १ सितम्बर, 2013

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन एवं  
अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी,  
लखनऊ।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक / प्रधानाचार्य / संस्थान प्रभारी, मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान।
3. प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय (पुरुष / महिला), उ.प्र.।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश की जनपदीय / परिधिगत इकाइयों में राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों पर चयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय / महोदया,

उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के पूर्व पत्र संख्या-93732-93, दिनांक 02.01.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जिला एड्स समन्वय समिति के गठन एवं मुख्य उद्देश्यों में उ० प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की परिधिगत इकाइयों के विभिन्न घटकों में संविदा नियुक्ति का दायित्व जिला एड्स समन्वय समिति (डी.ए.सी.सी.) को दिया गया था।

प्रदेश की विभिन्न चिकित्सा संस्थानों / इकाइयों में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सृजित संविदा पदों (ब्लड बैंक-लैब टैक्नीशियन, काउन्सलर, डॉटा आपरेटर, बी.टी.वी. ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, ब्लड मोबाइल वैन ड्राइवर व अटेन्डेन्ट, आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी. केन्द्र-लैब टैक्नीशियन व काउन्सलर, ए.आर.टी. / लिंक ए.आर.टी. केन्द्र -एस.एम.ओ., एम.ओ., फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, केयर को-ऑर्डिनेटर, डॉटा एनालिस्ट, डाटा मैनेजर, डॉटा आपरेटर, सैसेप को-ऑर्डिनेटर, एस.टी.आई. क्लिनिक-एस.टी.आई. काउन्सलर, डैप्कू-डी.पी.एम., एम.एण्ड ई. असिस्टेन्ट, एकाउन्ट असिस्टेन्ट, प्रोग्राम असिस्टेन्ट) पर चयन के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली चयन प्रक्रिया में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एकरूपता लाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:-

(क). चयन समिति का गठन-

क्र. सं.	चयन समिति का गठन	मेडिकल कॉलेज / चिकित्सकीय संस्थानों एवं समकक्षीय अधिष्ठानों के अधीन संविदा पदों हेतु	जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला) के अधीन संविदा पदों हेतु	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य इकाइयों/ डैक्कू के अधीन संविदा पदों हेतु
1.	अध्यक्ष	संस्थान प्रभारी / प्रधानाचार्य द्वारा नामित विभागाध्यक्ष	सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2.	सदस्य सचिव	नोडल अधिकारी (प्रभारी आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी.एस.टी.आई., ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	नोडल अधिकारी (प्रभारी आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी., एस.टी.आई. ब्लड बैंक, ए.आर.टी.)	जिला क्षयरोग अधिकारी
3.	नामित सदस्य	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि	जिलाधिकारी (अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी.) द्वारा नामित प्रतिनिधि
4.	विशेषज्ञ सदस्य** (केवल तकनीकी पदों हेतु)	समिति अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष / डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष / डी.ए.सी.सी. द्वारा नामित प्रतिनिधि
5.	विशेष* आमन्त्री	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि	उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी प्रतिनिधि
चयन प्रक्रिया का अनुमोदन		संस्थान प्रभारी / प्रधानाचार्य, सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान द्वारा।	जिलाधिकारी / अध्यक्ष, डी.ए.सी.सी. द्वारा	

\*\* उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिनिधि विज्ञापन प्रकाशित होने तथा साक्षात्कार की तिथि नियत होने के पश्चात ही नामित किया जाएगा। अतः चयन समिति का गठन उ.प्र. राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के प्रतिनिधि के अभाव में रोका नहीं जाएगा।

\* केवल तकनीकी पदों हेतु, यदि चयन समिति में कोई अन्य विशेषज्ञ नहीं है।


(ख). चयन प्रक्रिया:-

1. चयन समिति के गठन का प्रस्ताव, चयन की प्रक्रिया, विज्ञापन, अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग आदि कार्य सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा। अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु संस्थान द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से विज्ञापन दिया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी से सम्बन्धित विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि से

संतुष्ट होने की स्थिति में ही साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्रयास किया जाए कि प्रत्येक संविदा पद हेतु तीन अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी कम हों तो समिति द्वारा विचार किया जा सकता है, बशर्ते उपलब्ध अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो।

2. चयन समिति द्वारा चयनित एवं अधिकतम तीन प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची तैयार करते हुए एक प्रति उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के सम्बन्धित अनुभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रतीक्षा सूची अनुमोदन की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

**नोट:** उक्त आदेश इस पत्र की तिथि से प्रभावी होंगे परन्तु जिन प्रकरणों में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला जा चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।


भवदीय,

(प्रवीर कुमार)  
प्रमुख सचिव/अध्यक्ष

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त निदेशक/कार्यक्रम प्रभारी (बेसिक सर्विसेज/सी.एस.टी./रक्त सुरक्षा अनुभाग), उ०प्र० राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी/एड्स कार्यक्रम अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी., एस.टी.आई., ब्लड बैंक, ए. आर.टी. केन्द्र, सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान।
4. गार्ड फाइल।

  
(आशीष कुमार गोयल)  
परियोजना निदेशक

F. No A11011/14/2014-DAC (HR)  
Govt. of India  
Ministry of Health & Family Welfare  
National AIDS Control Organization

09<sup>th</sup> Floor Chandralok Building,  
36, Janpath New Delhi -110001  
Dated: 16<sup>th</sup> June 2014

To,

All Project Director  
State AIDS Control Societies

Sub: Revised Terms of Reference of position at Facility level under NACP -IV

The revised Terms of Reference (eligibility criteria and roles & responsibilities) for NACP -IV for the following divisions at facility level have been approved by the Competent Authority.

- BSD
- CST – ART& COE
- STI

2. The existing staff will continue on their respective position. The positions created in new ICTC/ART/STI centers or clinics and the vacant position on and after the date of issue of this order to be advertised on the revised ToRs.

3. Terms of Reference for the concerned division are attached.

4. The SACS are requested to kindly coordinate with the concerned division at DAC to fill the vacant position as per the operational guidelines of the respective divisions.

Yours faithfully,

(Subhash Chandra)

Deputy Secretary to the Govt. of India

All HoDs – DAC

Copy to :

PPS to Secretary DAC- for information  
PS to JS, DAC for information



S No	Post	Eligibility Criteria	TORS
2	ICTC Counselor	<p>Essential Qualification &amp; Experience: Post Graduate degree / diploma in Psychology/Social Work/ Sociology/ Anthropology/ Human Development/ Nursing; with minimum 1 year experience after PG degree/ diploma, of working in field of counseling in health sector; preferably in HIV/AIDS.</p> <p>OR</p> <p>Graduate in Psychology/Social Work/ Sociology/ Anthropology/ Human Development/ Nursing; with minimum 3 years experience after graduation, of working in field of counseling in health sector; preferably in HIV/AIDS.</p> <p>In the case of those recruited from the community of people infected with or affected by HIV/AIDS, the experience will be relaxed to a minimum of one year of experience in the field of HIV/AIDS.</p> <p>Other expertise required: 1. Working knowledge of computers</p>	<p>Under NACP IV</p> <p>1. <u>Preventive and health education</u> Ensure that each client is provided pre-test information/counseling, post-test counselling and follow-up counselling in a friendly atmosphere. Be available in the ICTC as per the specified timings. Ensure that strict confidentiality is maintained. Ensure that all IEC materials such as posters, etc. are displayed prominently in the ICTC. Ensure that communication aids in the form of flip books and condom demonstration models, fliers, etc. are available in the ICTC.</p> <p>2. <u>Psychosocial support</u> Provide psychosocial support to help HIV-positive clients cope with HIV/AIDS and its consequences. Ensure that the extended family of the HIV-positive client is sensitized on how to deal with HIV-positive members of the family. Conduct weekly visits after obtaining consent, to the homes of HIV-positive clients facing severe crisis.</p> <p>3. <u>Referrals and linkages</u> Maintain effective coordination with the RCH and TB programmes as well as with the antiretroviral therapy (ART) programme, and visit key persons in the facilities run by these programmes once in a fortnight so as to strengthen linkages and minimize loss of clients during referrals.</p> <p>4. <u>Supply and logistics</u> Report to the ICTC manager on the adequacy of stocks of condoms and prophylactic nevirapine tablets and syrup available in the ICTC as well as in the facility.</p> <p>5. <u>Monitoring</u> Maintain counselling records and registers, and prepare monthly reports which are to be sent to the SACS.</p> <p>Facilitate the establishment of linkages and referrals</p>

*Handwritten signature*

S No	Post	Eligibility Criteria	TORS
		Under NACP IV	Under NACP IV
3	ICTC Lab Technician	<p>Essential Qualification &amp; Experience: Graduate in Medical Laboratory Technology (B.Sc); with minimum 1 year experience after graduation.</p> <p>OR</p> <p>Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT); with minimum 2 years experience after diploma.</p> <p>The services of existing LTs who do not hold a DMLT may be continued if they have done a Certificate Course in Medical Laboratory Technology and have more than 5 years' experience of working in the ICTC/ PPTCT/ ART centre run under the National AIDS Control Programme.</p> <p>Other expertise required: 1. Working knowledge of computers.</p>	<p>1. Undertake HIV testing according to standard laboratory procedure.</p> <p>2. Keep the facility neat and clean at all times.</p> <p>3. Ensure that adequate stock of consumables and rapid HIV diagnostic kits are available in the ICTC.</p> <p>4. Keep a record of HIV test results as well as a stock of rapid HIV diagnostic kits and consumables.</p> <p>5. Ensure the maintenance of all laboratory equipment.</p> <p>6. Scrupulously follow internal and external quality assurance procedures.</p> <p>7. Follow universal safety precautions and strictly adhere to hospital waste management guidelines.</p>
4	Driver (Mobile ICTC)	<p>Essential Qualification/Pre-requisite: 10th Pass; and holding a Valid driving license</p>	Not Available
5	Cleaner (Mobile ICTC)	<p>Essential Qualification/Pre-requisite: Should know how to read and write.</p>	Not Available

*Jyoti*